[20/3/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 1501]

परिशिष्ट

सदन मे उत्तर देने की दिनांक 20.03.2020

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1501 द्वारा माननीय विधायक श्री बिसाहूलाल

सेवा में,

श्रीमान् श्रम अधिकारी महोदय,
जिला– अनूपपुर (म.प्र.)

विषयः– ठेकेदार ए.के.एस. कंस्ट्रक्शन चचाई के द्वारा ठेका श्रमिक विवेक खरे को गेट पास व वेतन पर्ची न देने के शिकायत के निराकरण के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क. 175/सी.एम. शिका./श्र.वि.अ./2020 अनूपपुर दिनांक 13.02.2020

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी विवेक खरे पिता स्व. बृजकिशोर खरे जो कि ठेका श्रमिक ठेकेदार ए.के.एस. कंस्ट्रक्शन चचाई में 0.35 एम.सी.डी. कालोनी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका मजदूरी में ऑपरेटर के पद पर 29 जनवरी 2020 से आज दिनांक तक कार्य कर रहा है। मेरे द्वारा भुगतान से संबंधित जो भी शिकायत की गई थी, वह हमारे ठेकेदार ए.के.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान करने एवं वेतन पर्ची देने का आश्वासन देकर दूर कर दी गई है। गेट पास के लिये बाहर का कार्य होने के कारण गेटपास की आवश्यकता नहीं है। अब हमें ए.के.एस. कंस्ट्रक्शन ठेकेदार से भुगतान से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांक :– 28.02.2020

प्रार्थी
[signature] 28/02/2020
विवेक खरे पिता स्व. बृजकिशोर खरे
(ऑपरेटर)
0.35 एम.सी.डी. कालोनी
सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चचाई

प्रतिलिपिः– श्रीमान् कार्यपालन अभियंता (सि.)
संधारण संभाग म.प्र.पा.ज.कं.लि.
चचाई।

BC
[signature] 29/2/20
EE(c) maint

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल